न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक राज0

राजस्व लोक अदालत केम्प 2018 न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्रांम पंचायत बिलासपुर

(श्री कैलाश चन्द गुर्जर आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अघ्याशित)

अपील सं0 5/2017 **निर्णय दि0 01.05.2018**

उनवान

श्रीमति पाना घर्मपत्नि कन्हैयालाल जाति मीना निवासी श्रीनगर तह0 उनियारा जिला टोंक **अपीलान्ट**

बनाम

श्री राजेन्द्र मीना सरंपच ग्रांम पंचायत बिलासपुर पं0स0 उनियारा तह0 उनियारा जिला टोंक **रेस्पोडेन्ट**

अपील विरूद्ध नामान्तरण सं0 519 दि0 20.09.2017 सरंपच ग्रांम पं0 बिलासपुर पं0स0 उनियारा टोंक

उपस्थित (1) पाना अपीलान्ट

(2) संरपच ग्रांम पं0 बिलासपुर रेस्पोडेनट

निर्णय

पत्रावली वास्ते सुनवाई राजस्व लोक अदालत 2018 न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्रांम पं0 बिलासपुर पर पेश हुई । अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट उपस्थित है । दोनो पक्षों को सुना गया ।

अपीलान्ट का कथन है कि आराजी ख0नं0 404 रकबा 0.72है0 वाके ग्रांम बिलासपुर तह0 उनियारा जिला टोंक बंशी पुत्र श्री किशनलाल जाति गुर्जर निवासी बिलासपुर तह0 उनियारा के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी । जिसे अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि0 23.05.2017 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । तब से उक्त आराजी पर अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है ।उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आघार पर व पटवारी हल्का बिलासपुर ने ग्राम बिलासपुर मे ना0स0 519 दि0 20.07.2017 को दायर किया । जिसे गिरदावर हल्का ने नियमानुसार जांच की जाकर पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अकंन को सही होना अकिंत किया गया । जिस पर दि0 30.08.2017 को गिरदावर हल्का ने अपने हस्ताक्षर किये है ।उसके पश्चात ग्राम पं0 बिलासपुर ने उक्त नामान्तकरण को जांच मे रखा गया तथा दि0 20.09.2017 को निर्णय व आदेश पारित कर नामान्तकरण सं0 519 को अस्वीकार किया है । इसी कारण यह अपील प्रस्तुत की है । अपीलान्ट के द्वारा उक्त आराजी की भूमि दर अनुसार पंजीयन शुल्क व मुद्रांक शुल्क अदा

Scanned by CamScanner

किया है । ग्राम पंचायत बिलासपुर ने उक्त नामान्तकरण अवैधानिक रूप से खारिज किया है । रेस्पोडेन्ट द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही एक तरफा व मनमानी ढंग से आपसी द्वेषता पूर्ण की गई है । ग्राम पंचायत निर्णय दि0 20.09.2017 निरस्त किये जाने योग्य है । अतः निवेदन है कि उक्त नामान्तकरण के निर्णय को अस्वीकार करते हुये पटवारी हल्का व गिरदावर द्वारा की जांच के आधार पर नामान्तकरण को तस्दीक फरमावे जाने का आदेश फरमाया जावें ।

रेस्पोडेन्ट सरंपच ग्रांम पं0 बिलासपुर का कथन यही है कि भूमि कीमती है , पंजीयन शुल्क एंव मुद्रांक शुल्क की राज्य सरकार को हानि हुई है ।

प्रकरण मे तहसीलदार उनियारा से रिपोर्ट ली गई । मुताबिक रिपोर्ट विक्रय पत्र ग्रांम बिलासपुर से बंशी पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर द्वारा विक्रय किये गये ख0नं0 404 , रकबा 0.72 है0 बारानी तृतीय वाके ग्राम बिलासपुर जो पाना धर्मपत्नि कन्हैयालाल जाति मीना निवासी श्री नगर को विक्रय की गई है ।जो उप पंजीयक बनेठा पर दि0 23.05.2017 को पंजीबद्ध हुई है ।उक्त विक्रय पत्र मे गांव की अधिकतम डी0एल0सी0 दर से पंजीबद्ध की गई है , कोई राजस्व हानि नही हुई है ।

अपिलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर मनन किया गया तहसीलदार उनियारा पदेन उप पंजीयक बनेठा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया ।

अपीलान्ट ने आराजी ख0नं0 404 रकबा 0.72 बारानी तृतिय वाके ग्रांम बिलासपुर तत्कालीन खातेदार बंशी पुत्र किशन लाल जाति गुर्जर निवासी बिलासपुर तह0 उनियारा से जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दि0 23.05.2017 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है । जिसका नामान्तकरण सं0 519 ग्राम बिलासपुर पटवारी हल्का के द्वारा दि0 20.07.2017 को नामांतकरण भरा गया है ˙ जांच आई0एल0आर0 फुलेता द्वारा दि0 30.08.2017 को की गई है । सरंपच ग्रांम पं0 बिलासपुर ने उक्त नामान्तकरण को जांच मे रखा तथा प्रस्ताव सं0 3 दि0 20.09.2017 मे अंकन किया गया कि दि0 5.09.2017 को नामान्तकरण सं0 519 को जांच मे रखा गया था । जिसको ग्राम पंचायत द्वारा मोका निरीक्षण एंव भोतिक सत्यापन किये जाने पर बेनामा के स्टाम्प सं0 6 के क्रम0 सं0 1 बेची गई भूमि के बिन्दू ख मे सडक से 200 मीटर, आबादी से 3 कि0मी0 दूर एंव नगरीय क्षैत्र से 30 कि0मी0 , ओधोगिक क्षैत्र से 30 कि0मी0 दूर होना बताया गया है जो कि सही नही है । मौका स्थिति पर ग्राम पं0 द्वारा सडक से 100 मीटर दूर नही , आबादी से 1.5 कि0मी0 दूर नही नगरीय क्षैत्र से 30 कि0मी0 दूर नही एंव अन्य आक्षेप होने के कारण नामान्तकरण सं0 519 सर्व सम्मति से निरस्त किये जाने का प्रस्ताव हाने से सरंपच ग्रांम पं0 बिलासपुर द्वारा अस्वीकार किया गया है ।

सरंपच ग्रा0पं0 बिलासपुर द्वारा रजीस्टर्ड विक्रय पत्र मे अकिंत वास्तविक तथ्यों से परे हटकर उक्त नामान्तकरण को खारीज किया गया है । भूमि विक्रय पत्र मे किसी भी प्रकार की राजस्व हानि होना प्रतीत नही होता है ।

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 की भावना को मध्यनजर रखते हुये न्यायालय उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट अपील को स्वीकार करना उचित समझता है ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर सरंपच ग्रांम पं0 बिलासपुर नामान्तकरण सं0 519 निर्णय दि0 20.09.2017 को निरस्त कर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह रजिर्स्टड विक्रय पत्र दि0 23.05.2017 के आधार पर वादग्रस्त आराजियात का नामान्तकरण नियमानुसार तस्दीक करें । पालना हेतु तहसीलदार उनियारा को लिखा जावें। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

यह निर्णय आज दि0 01.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा केम्प अटल सेवा केन्द्र ग्रांम पं0 बिलासपुर मे लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

कैलाश चन्द गुर्जर
(आर0ए0एस)
उपखण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner